भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2187

जिसका उत्तर गुरुवार, 04 अगस्त, 2022 को दिया जाना है

आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय के प्रधान स्थान का स्थानांतरण

2187 श्री कनकमेवला रवींद्र कुमार :

श्री वेंकटारमन राव मोपीदेवी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रधान स्थान को अमरावती से कर्नूलु में स्थानांतरित करने के संबंध में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय लिया है/निर्णय लेने पर विचार कर रही है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (घ) : आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की अमरावती प्रधान न्यायपीठ आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के अधीन स्थापित की गई थी और तारीख 01.01.2019 से कार्य कर रही है ।

फरवरी, 2020 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की प्रधान न्यायपीठ अमरावती से कर्नूल स्थानांतरित करने के लिए प्रस्ताव किया था ।

उच्च न्यायालय की प्रधान न्यायपीठ के स्थानांतरित करने का विनिश्चय संबंधित उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा किया जाता है । राज्य सरकार, राज्य उच्च न्यायालय को चलाने हेतु व्यय करने के लिए उत्तरदायी है । इस प्रकार संबंधित उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति न्यायालय के दिन प्रति दिन प्रशासन को चलाने के लिए उत्तरदायी है । वर्तमान मामले में आंध्र प्रदेश राज्य सरकार और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय दोनों को उच्च न्यायालय को कर्नूल स्थानांतरित करने संबंधी अपनी राय बनानी है और भारत सरकार को एक पूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत करना है । यद्यपि, कोई पूर्ण प्रस्ताव सरकार के पास लंबित नहीं है ।

****